

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT
BULLETIN PART-II

(GENERAL INFORMATION RELATING TO LEGISLATIVE & OTHER MATTERS)
Thursday the 7th Sept.2000/Bhadrapada 16,1922(SAKA)

No: 104

DENTENTION AND RELEASE OF MEMBER

The following message addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha, Delhi was received from the Dy.Commissioner of police, East District, Delhi.

"Smt. Meera Bhardway, MLA, was detained by the police under Section 65 of the Delhi Police Act. at 1745 Hrs. on 2.9.2000 for dis-obeying the lawful directions of the police at Yamuna River front P.K.-III, Delhi.

She was released at 1830^Hrs. from the same place and on the same day i.e. 2.9.2000. "

S.K. SHARMA
SECRETARY

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

समाचार भाग-2

॥ विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी ॥
बृहस्पतिवार 7 सितम्बर, 2000/भाद्रपद, 16, 1922 ॥ शक ॥

संख्या: 104

सदस्य की नजरबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित पुलिस उपायुक्त(पूर्वी)
का निम्नलिखित संदेश प्राप्त हुआ है :-

*दिल्ली विधान सभा की माननीय सदस्या श्रीमती मीरा भारद्वाज को
2.9.2000 को समय 1745 बजे दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा
65 के अन्तर्गत पुलिस के विधि सम्बन्धित निर्देशों की अज्ञात करने के
कारण यमुना रोवर प्रॉट, पी.के. 3, दिल्ली से नजरबन्द किया गया ।

उन्हे वहीं से उसी दिन अर्थात् 2.9.2000 को समय 1830 बजे
रिहा कर दिया गया ।

एस.के.शर्मा
सचिव